न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुचामनसिटी जिला डीडवाना–कुचामन (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– **श्री सुनील कुमार-I, (RAS)**
राजस्व वाद संख्या :– **19/2008 GCMS 2008/00097**

वादीगण :–

1. मंदिर श्री महादेव जी वाके ग्राम चितावा तहसील कुचामन सिटी अवयस्क जरिये निकट मित्र पुजारी मोहनपुरी पुत्र मानपुरी कौम गुसाई निवासी चितावा तहसील कुचामन सिटी

प्रतिवादीगण :–

1. जीवणराम पुत्र उदाराम जाति जाट निवासी सूरतपुरा तहसील कुचामन सिटी
2. भोलाराम पुत्र उदाराम जाति जाट निवासी सूरतपुरा तहसील कुचामन सिटी
3. मूनाराम पुत्र उदाराम जाति जाट निवासी सूरतपुरा तहसील कुचामन सिटी
4. बुद्धाराम पुत्र उदाराम जाति जाट निवासी सूरतपुरा तहसील कुचामन सिटी
5. लच्छाराम पुत्र धन्नाराम जाति जाट निवासी सूरतपुरा तहसील कुचामन सिटी
6. गणपतराम पुत्र हनुमानराम जाति जाट निवासी चितावा तहसील कुचामन सिटी
7. कानाराम पुत्र गणेशाराम जाति जाट निवासी चितावा तहसील कुचामन सिटी
8. अमराराम पुत्र गणेशाराम जाति जाट निवासी चितावा तहसील कुचामन सिटी
9. भागीरथराम पुत्र भूराराम जाति खाती निवासी चितावा तहसील कुचामन सिटी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 11 सीपीसी दिनांक 04.04.2005

दावा इस्तकरार हक व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत् अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :– श्री मो. हनीफ अधिवक्ता वादीगण की ओर से
श्री राजेश गुर्जर अधिवक्ता प्रतिवादीगण की ओर से

–:निर्णय :–

दिनांकः– 09/05/2025

प्रार्थी मोहनपुरी पुजारी मंदिर महादेव जी की ओर जरिए वकील प्रार्थना पत्र आदेश 11 सीपीसी प्रस्तुत कर कथन किया है कि वादीगण द्वारा ग्राम चितावा के खसरा नंबर 852, 853, 854, 861, 862, 868 जिसके साबिक खसरा सं. 292 खातेदारी घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा हेतु पेश किया गया है। वादग्रस्त खसरा की भूमि मंदिर मूर्ति महादेव की खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि रही है। प्रतिवादी मोहनपुरी इस मंदिर का पुजारी रहा है। वादीगण ने साबिक खसरा नंबर 292 जिनके वर्तमान खसरा नंबर 852, 853, 854, [illegible] 868 वाके मौजा चितावा के संबंध में खातेदारी घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद मंदिर [illegible] महादेवजी व प्रतिवादी मोहनपुरी के विरूद्ध सहायक जिलाधीश नावां की अदालत में [illegible] किया था जो दावा दिनांक 25.9.1994 के गुणावगुण पर तय कर खारिज कर दिया गया। [illegible]सकी अपील भैराराम [illegible] राजस्व

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2025.07.08 15:27:17 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी (डीडवाना-कुचामन) सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)

अपील प्राधिकारी नागौर के यहां पेश की गई। यह अपील 147/95 के रूप में दर्ज हुई जो 24.12.97 को राजस्व अपील प्राधिकारी नागौर के यहां खारिज की गई। सहायक जिलाधीश के निर्णय के विरूद्ध गणेशराम वगैरा ने भी राजस्व अपील प्राधिकारी के समक्ष अपील पेश की जो भी खारिज हुई तथा राजस्व मंडल अजमेर में भी गणेशराम ने अपील की जो खारिज हुई। राजस्व मंडल के निर्णय के विरूद्ध गणेशराम वगैरा ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में रिट पेश की जो एस.बी.रिट पीटीशन सं. 2025/01 गणेशराम वगैरा बनाम राज्य वगैरा के रूप में दर्ज होकर दिनांक 9.9.2003 को खारिज कर दी गई। इस रिट निर्णय के विरूद्ध गणेश वगैरा ने खण्डपीठ में रिट पेश की जिसके नंबर 666/2003 रहे थे तथा यह रिट भी 22.10.2003 को खारिज कर दी गई। इस प्रकार पूर्व निर्णय वादीगण के विरूद्ध व प्रतिवादी मंदिर महादेव पुजारी मोहनपुरी के पक्ष में हो चुका है। इस प्रकार पक्षकारों के बीच इन्हीं वादग्रस्त खसरों की भूमि का वाद सक्षम न्यायालय में चलकर निर्णीत हो चुका है और वादी का वाद खातेदारी घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का पेश नहीं किया जा सकता है, न नये सिरे से तय किया जा सकता है। कोई भी न्यायालय किसी ऐसे वाद या विवाद्यक का विचरण नहीं कर सकता जिसमें प्रत्यक्ष और सरतः विवाद्य विषय उसी हक के अधीन मुकदमा करने वाले उन्हीं पक्षकारों के बीच किसी पूर्ववर्ती वाद में निर्णीत किये जो चुके हैं। वादीगण को यह वाद पुनः पेश करने व उसका नये सिरे से विचारण करवाने का प्राधिकार नहीं है। इस प्रकार यह वाद पूर्व न्याय रेस जुडिफेटा के सिद्धांत से बाधित है और खारिज होने योग्य है।

वकील प्रतिवादी ने प्रार्थना पत्र 11 सीपीसी दिनांक 04.04.2005 का जवाब प्रस्तुत कर कथन किया है कि प्रार्थना पत्र के पैरा नंबर 1 में वर्णितय कथन इतना सही है कि वादीगण ने विरूद्ध प्रतिवादीगण 852, 853, 854, 861, 862, 868 व 869 कुल रकबा 12.76 है. की खातेदारी घोषणा, भूविभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद अंतर्गत धारा 88,53,188 रा.का.अधि. 1955 के तहत प्रस्तुत किया है जो जेरतजबीज है। प्रार्थना पत्र का पैरा सं. 2 स्वीकार नहीं है कि वादीगण भैरूराम पुत्र मूनाराम जाति गुर्जर, भागीरथ पुत्र भूराराम जाति खाती, गणेशराम पुत्र हणमानराम जाति जाट निवासी चितावा व वादीगण लछाराम पुत्र धनाराम, गोपालराम पुत्र लादूराम, पूसाराम पुत्र लादूराम, मूनाराम पुत्र धनाराम व बुधाराम पुत्र धनाराम जाट निवासीयान सूरतपुरा की तरफ से कोई वाद खातेदारी घोषणा व भूविभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा हेतु पेश नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में वादीगण के वाद का कोई निर्णय दिनांक 25.09.94 को खारिज होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। प्रार्थना पत्र का पैरा सं. 3 स्वीकार नहीं है कि राजस्व अपील अधिकारी नागौर द्वारा तथाकथित निर्णय वाद 24.12.94 को पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय में सुनवाई हेतु प्रेषित की जाने हेतु है तथा माननीय न्यायालय राजस्व मंडल, अजमेर द्वारा राजस्व अपील प्राधिकारी नागौर के निर्णय दिनांक 24.12.97 को बहाल रखा गया है तात्पर्य यह है कि मूल विवाद का निर्णय अभी तक किसी न्यायालय द्वारा पक्षकारान को सुनवाकर अपील तक सादिर नहीं किया गया है इसलिए रेसजुडिफे[illegible] वादीगण को इस वाद पर कतई लागू नहीं होगा। प्रार्थना पत्र का पै[illegible] स्वीकार नहीं [illegible] इस वाद के वादीगण द्वारा सम्मलित रूप से कोई वाद ही पेश नहीं किया गया तो उ[illegible] विरूद्ध किसी प्रकार का निर्णय होना मान्य नहीं है अगर किसी प्रकरण में कोई निर्णय बि[illegible] वादीगण को सुने किए गए हैं तो उक्त तथाकथित निर्णय वादीगण के हक—हकूकों पर कतई निष्प्रभावी है। प्रार्थना पत्र का पैरा सं. 5 स्वीकार नहीं है क्योंकि वाद के वादीगण द्वारा तथाकथित वाद ही पेश नहीं हुआ और न ही

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2025.07.08 15:27:17 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन) सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)

उनके वादीगण का खारिज हुआ। प्रतिवादीगण द्वारा केवल मात्र कुछ पक्षकारों द्वारा कोई वाद पेश किया गया हो तो उससे इस वाद के वादीगण के जायज अधिकारों पर प्रभावित नहीं है। वादीगण के इस वाद में 8 वादी एवं 15 प्रतिवादीगण है। इनत माम व्यक्तियों के हितों का निपटारा पूर्व में न्यायालय द्वारा नहीं किया गया है। प्रार्थना पत्र का पैरा सं. 6 स्वीकार नहीं है कि वादीगण के इस वाद में वर्णित हक हिस्सा बाबत् कोई तनकी किसी पूर्व तथाकथित वाद में तय नहीं हुई है पूर्व में नहीं हुआ है ऐसी स्थिति में वादीगण का यह पूर्व न्याय के सिद्धांत से बधित नहीं है। प्रत्येक नागरिक को अपने जायज अधिकारों के निस्तारण हेतु वाद लाने का संवैधानिक अधिकार है। वादीगण को न्याय कराने का पूर्ण हक है। प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 11 सीपीसी खारिज फरमाया जावे।

उभयपक्षकारों की प्रार्थना पत्र 11 सीपीसी दिनांक 04.04.2005 पर बहस सुनी गई। वकील प्रतिवादी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया व वकील वादी ने जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराया।

वादग्रस्त भूमि के संबंध में पूर्व में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नावां, न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, नागौर, माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में दर्ज वाद/अपील का गुणावगुण के आधार पर खाजिर कर निस्तारण किया गया है।

दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है कि इस वाद की वादग्रस्त भूमि के पक्षकारों के मध्य पूर्व में भी राजस्व वाद/राजस्व प्रार्थना/राजस्व अपील विचाराधीन थी। जिनका निस्तारण न्यायालयों द्वारा विधिक प्रक्रिया से निस्तारण किया गया है। समान भूमि व समान पक्षकारों द्वारा बार-बार वाद लाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 11 के अनुसार '' सिविल प्रक्रिया संहिता(CPC) की धारा 11 रेस ज्युडिकाटा के सिद्धांत को दर्शाती है। इसका अर्थ है कि एक बार किसी मामले पर अदालत द्वारा निर्णय दे दिया जाए, तो उस पर दोबारा मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। यह धारा किसी वाद या वाद-बिंदु के पुनः विचारण को प्रतिबंधित करती है, यदि वह पहले ही उसी या उसी या अन्य सक्षम न्यायालय द्वारा निर्णय लिया जा चुका है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना प्रार्थना-पत्र आर्डर 11 सी.पी.सी. दिनांक 04.04.2025 काबिल स्वीकार पाया गया।

-: आदेश :-

अतः प्रार्थी मोहनपुरी पुजारी मंदिर महादेव जी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र आदेश 11 सी.पी.सी. दिनांक 04.04.2005 स्वीकार किया जाकर इस न्यायालय में विचाराधीन मूल राजस्व वाद संख्या 19/2008 (जीसीएमस 2008/00097) उनवान मंदिर महादेव जी चितावा बनाम जीवणराम खारिज किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 09/05/2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2025.07.08 15:27:17 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार-I)
उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी
जिला (डीडवाना-कुचामन)

उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी (डीडवाना-कुचामन)